उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023

09 नवम्बर, 2000 में 27वें नवसृजित राज्य के रूप में गठित उत्तरखण्ड राज्य की सीमाएं, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमांचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। राज्य गठन से पूर्व प्रदेश का सम्पूर्ण भूभाग अविभाजित उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारम्परिक हिन्दू ग्रन्थों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखण्ड के रूप में किया गया है।

उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा प्रदेश है। प्रदेश के दो जनपदों, विशेषकर जनपद उधमसिंह नगर और हरिद्वार का सम्पूर्ण भूभाग मैदानी है तथा तीन अन्य जनपदों का कुछ भाग मैदानी और अधिकतर भूभाग पर्वतीय है। अन्य सभी जनपद पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में उतार–चढ़ाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पारम्परिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत, परिवहन एवं संचार साधनों के विकास, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से राज्य में न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्धि हुई है, अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है।

राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड को शून्य उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य की भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष 2001 में राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति में राज्य में उपलब्ध संसाधनों और उनके उचित उपयोग से आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए उद्योग क्षेत्र के महत्व पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार से उत्तराखण्ड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज स्वीकृत होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक पैकेज का अधिकतम लाभ लेने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति, 2003 घोषित की गयी। इस नीति में राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज का समुचित लाभ लिया जा सके। इस पैकेज से राज्य के मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा देहरादून में बृहत स्तर पर औद्योगीकरण होने के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी काफी वृद्धि हुई, किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगीकरण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति घोषित की गयी। इस नीति में अत्यन्त आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये गये तथा राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 2011 में इस नीति में कुछ संशोधन भी किये गये। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता मार्च, 2013 में समाप्त होने के बाद राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 लागू की गयी।

इस नीति में अनेक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये गये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 को इस नीति में समाहित करते हुए वित्तीय प्रोत्साहनों को और भी आकर्षक बनाते हुए उनमें बढ़ोतरी की गयी। इस नीति में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये गये। यह नीति 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है।

राज्य में निवेश के लिए स्थिर राजनैतिक वातावरण, अच्छी कानून व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण, रेल, सड़क तथा वायु परिवहन की सुविधा, सस्ती एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा अप्रदूषित जल संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकार के पास एक समर्पित 'निवेश संवर्धन एवं सुविधा केंद्र' (आईपीएफसी) है जो निवेशकों/व्यवसायियों के लिए एक केंद्रीकृत वन–स्टॉप–शॉप के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तराखण्ड देश के अचीवर्स तथा स्टार्टअप की

रैंकिंग में लीडर्स राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इन्डैक्स में उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है।

राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2021–22 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) का योगदान 12.11 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण) का योगदान 44. 97 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र (सेवा) का योगदान 42.92 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2021–22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का विश्लेषण करने पर निर्माण (11.61 प्रतिशत), परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (11.60 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें (10.50 प्रतिशत), अन्य क्षेत्र (10.13 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह (8.63 प्रतिशत) में उच्च वृद्धि दर आंकी गयी है, जबकि वित्तीय क्षेत्र (4.00 प्रतिशत) तथा बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं (2.98 प्रतिशत) में निम्न वृद्धि दर आंकी गयी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया गया है। प्रदेश में फरवरी, 2023 तक कुल 78,988 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत हुए हैं, जिनमें रू. 15,857.27 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 4,02,995 लोगों को रोजगार मिला है।

1. प्रस्तावना

कोविड–19 महामारी के कारण प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, किन्तु इस महामारी के समय में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र ने विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए सराहनीय पहल की है। अतः कोविड–19 के पश्चात राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे राज्य न केवल आर्थिक विकास के पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति कर सके, अपितु महामारी से प्रभावित निवेश प्रस्तावों को धरातल पर क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त हो। वर्तमान वैश्विक परिवेश में उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों एवं कठिनाईयों के प्रभाव को कम करने के लिए देश एवं विदेश की प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्तराखण्ड में निवेश करना चाहती है, ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रदेश को एक आकर्षक गन्तव्य के रूप में प्रतिस्थापित करने हेतु निवेशकों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिए आवश्यक बुनियादी एवं ढांचागत सुविधायें उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाय और इससे रोजगार की भी नई सम्भावनायें सृजित होंगी।

राज्य में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, इलैक्ट्रिक वाहन और ईवी घटक विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन, व्हाइट गुड्स और घटकों जैसे उभरते क्षेत्रों के विकास की अपार सम्भावनाओं के साथ–साथ इनमें मूल्यवर्धन को अधिकतम करने की क्षमता है।

सेवा क्षेत्र विनिर्माणक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आर्थिक मूल्य का पूरक है तथा प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों के साथ–साथ सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता प्रदान करता है। जहां राज्य में विनिर्माणक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, वहीं सेवा क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चूंकि भारत में कराधान व्यवस्था, उपभोग–आधारित वस्तु और सेवा कर में स्थानांतरित हो गयी है, इसलिए सेवा क्षेत्र की कुल लागत के और कम होने का अनुमान है तथा इससे राज्य को अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था एक समन्वित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। विनिर्माणक क्षेत्र में निवेश हेतु अनुकूल नीतियों एवं पारिस्थिक तंत्र का सर्वोत्तम लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। निवेशक भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध उत्तराखण्ड में विनिर्माणक क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण को देखते हुए राज्य को ''विनिर्माणक क्षेत्र हेतु एक पसंदीदा गंतव्य'' के रूप में उपयुक्त स्थल मान रहे हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विनिर्माणक क्षेत्र की प्राथमिकतायें निश्चित करते हुए सम्बन्धित विभागों के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन के लिए एक नई नीति प्रस्तावित की जाय।

राज्य सरकार प्रदेश में पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कृत संकल्पित है, जिसके तहत एमएसएमई सहित बृहत उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत व्यवस्थाओं में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं। यद्यपि एमएसएमई क्षेत्र में विशेष रूप से औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय जिलों में बुनियादी ढांचे, क्रेडिट लिंकेज, विपणन की समस्या के कारण आशानुरूप प्रगति नहीं हो पाई है, अतः अन्य पड़ोसी राज्यों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देकर वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने आवश्यक है। अतः एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास को केन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने के लिए एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप, राज्य उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति–2023 घोषित कर रहा है।

2. दृष्टि **(Vision)**

- राज्य में उपलब्ध संसाधनों के उत्पादक उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन और उन्हें उत्पादक उपयोग में लाना।
- उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रवाह को बढ़ाना।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- राज्य के सभी क्षेत्रों का समान औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- उत्तराखण्ड राज्य को उच्च विकास पथ पर लाना।
- राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन, जिसमें राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए एक सूत्रधार की भूमिका निभाएगी।

3. उद्देश्य

i. उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित करना, जो सुरक्षित, स्थायी और समावेशी हो और जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के विनिर्माण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों।

ii. नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए पूंजी तक पहुंच बनाना, ताकि राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित कर अन्य प्रदेशों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा सके।

iii. मौजूदा एमएसएमई के विस्तार, स्केलिंग–अप और विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

iv. नई तथा विद्यमान इकाइयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।

v. उद्यमिता, रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय के मानकों पर क्षेत्रीय असमानताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास।

vi. राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ।

vii. पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्कृष्ट आधुनिक तकनीकी युक्त संवेदनशील प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण।

4. रणनीति

उक्त दृष्टि को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निम्न रणनीति के अनुरूप कार्य योजना का निर्माण करेगीः–

i. वर्तमान में विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के लिये संसाधनों को उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना एवं निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना।

ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आसन्न विषयों को विशेष रूप से संबोधित करना और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर पूंजी और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना।

iii. नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि/स्थान की उपलब्धता सुलभ बनाना, नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसरंचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन।

iv. सुगमता एवं सहजता के साथ व्यापार करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन।

v. भारत सरकार की योजनाओं और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए राज्य की योजनाओं और संसाधनों का अभिसरण।

vi. पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई तथा समावेशी विकास।

vii. क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का समाधान करने की दिशा में सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए विशेष प्रोत्साहन देना।

viii. समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा प्रदान करना।

ix. निवेश के आकर्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता।

x. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों की गुणवत्ता विकास के लिए तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन प्रदान करना।

xi. भारत सरकार के ''एक जनपद एक उत्पाद'' कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित ''एक जनपद दो उत्पाद'' नीति के तहत चिन्हित उत्पादों की पहचान बढ़ाना तथा राज्य में निर्मित उत्पादों को बाजार तक पंहुच बनाने के लिए इस नीति को धरातल पर क्रियान्वित करना।

xii. मुद्रा, स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एवं भारत सरकार के अन्य मिशन मोड कार्यक्रमों एवं योजनाओं से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का निर्माण करना।

xiii. वैश्विक मान्यता के लिए उत्पाद ब्राण्डिंग ''मेक इन उत्तराखण्ड'' को प्रोत्साहित करना।

5. परिभाषाएं

i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से तात्पर्य है, जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 तथा इसमें समय–समय पर हुए संशोधनों में परिभाषित किया गया है।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 से ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं:–

क. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

ख. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

ग. मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।

ii. विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः विनिर्माणक/उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो और जो अन्तिम उत्पाद के मूल्य वर्धन में संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करता हो।

iii. स्टार्टअप का अर्थ उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से है।

iv. जीआई टैग उत्पाद का अर्थ महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क, उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र के उत्पादों हेतु जारी जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों से है।

v. ओडीटीपी उत्पाद का अर्थ उत्तराखण्ड राज्य की एक जनपद दो उत्पाद योजना–2021 के तहत चिन्हित उत्पाद से है।

vi. इण्डस्ट्री 4.0 मुख्यतः इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, बाधा रहित इन्टरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और 3डी प्रिन्टिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत अधिक डिजीटलाइजेशन तथा उत्पादों, वैल्यूचैन, व्यापार मॉडल को एक–दूसरे से अधिकाधिक संयोजन करते हुए ऊर्जा का संरक्षण तथा संचार को तीव्र कर उत्पादन को अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाया जाता है।

vii. वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत से तात्पर्य है, वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरूआत/प्रचालन, जिसका इकाई में अधिष्ठापित सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर के नियोजन से पहले, परीक्षण उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ हो चुका हो तथा उस दिनांक को संयंत्र व मशीनरी वाणिज्यिक मात्रा में उत्पाद के विनिर्माण के प्रचालन के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चा माल/उपभोग वस्तुएं उपलब्ध हों।

viii. नई औद्योगिक इकाई का अर्थ एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसने दिनांक 01.04.2023 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2028 से पूर्व अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो।

ix. विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तारीकरण का अर्थ एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.04.2023 से पूर्व ही व्यवसायिक उत्पादन/प्रचालन हो रहा था तथा विद्यमान इकाई द्वारा अपनी विद्यमान उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश (भवन, संयंत्र व मशीनरी तथा उपस्कर) में दिनांक 01.04.2023 के पश्चात 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की बढ़ोतरी की हो तथा इससे इकाई की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत बढ़ोतरी होती हो।

x. स्थायी पूंजी निवेश– एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा भवन, संयंत्र, मशीनरी, यूटिलिटीज, उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश, जो निवेश अवधि (इलिजिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड) के दौरान अंतिम उत्पाद (End Product) के विनिर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो, को निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश के विनिर्धारण के लिए गणना में लिया जाएगाः–

क. भूमिः भूमि की लागत पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देय नहीं होगी। भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जायेगा, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान सम्मिलित नहीं होगा। राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की अन्य संस्था द्वारा भूमि क्रय करने पर वास्तविक आवंटन मूल्य (पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क को छोड़कर) को भूमि की लागत माना जायेगा।

ख. भवनः भवन का तात्पर्य परियोजना के लिए निर्मित एक नया कार्यशाला भवन, जिसमें भण्डारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्मित अन्य भवन भी शामिल हैं। परियोजना लागत

के अन्तर्गत नए कार्यशाला तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित भवनों पर किये गये आवश्यक एवं वास्तविक व्यय की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

i. संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के लिए बनाया गया भवन,

ii. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) गतिविधियों के लिए बनाया गया भवन,

iii. इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं (टेस्टिंग फैसिलिटीज) के लिए बनाया गया भवन,

iv. भंडारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए भवन,

v. अग्नि शमन तथा विद्युत पारेषण व्यवस्था कक्ष,

vi. जल संयोजन के लिए निर्मित टंकी।

ग. प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण (कार्यशाला एवं संयंत्र): प्लांट और मशीनरी से तात्पर्य नए संयंत्र और मशीनरी, यूटिलिटीज, डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरणों से है, जो उत्पाद के विनिर्माण/प्रचालन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। परियोजना लागत के अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने, संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स आदि पर किया गया व्यय, संयंत्र व मशीनरी की परिवहन लागत तथा बीमा व्यय भी सम्मिलित होगा। यदि संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए विद्युत सब–स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाता है, तो इनकी लागत भी विद्युतीकरण के अन्तर्गत आंगणित की जायेगी। प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता हैः–

i. गैर–पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र।

ii. बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट, गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी विचारित किया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये ही किया जाये।

iii. विनिर्माण उद्यम हेतु पानी की शुद्धि के लिए संयंत्र।

iv. प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट/ उत्सर्जन या ठोस/गैसीय खतरनाक कचरे के निपटाने की सुविधा सम्मिलित है।

v. डीजल जेनरेटर सेट्स और बॉयलर।

vi. विनिर्माण उद्यम हेतु ईटीपी संयंत्र।

xi. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अर्थ कृषि/बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण (संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके) के बाद तैयार किए गए ऐसे मूल्यवर्धित उत्पादों से है जो उनके मूल भौतिक स्वरूप से भिन्न होते हैं, उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी होती है और उन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसेः खाने या पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, खाद्य योजक, परिरक्षक, रंग एवं सुगंध और दूध से विनिर्मित मूल्यवर्द्धित उत्पाद।

xii. स्थायी रोजगार का अर्थ पंजीकृत स्थापित उद्योगों में नियोक्ता द्वारा प्रबंधन/कुशल/अकुशल श्रमिक वर्ग में नियमित रूप से नियोजित प्रदेश के स्थायी/मूल निवासी कर्मकरों/श्रमिकों से है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला रोजगार स्थायी रोजगार की श्रेणी में शामिल नहीं होगा।

xiii. माल और सेवा कर (जीएसटी) से ''उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017'' (अधिनियम संख्या–6, वर्ष 2017) की धारा–9 के अधीन उदग्रहीत माल और सेवा कर (जीएसटी) अभिप्रेत है।

xiv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों से तात्पर्य ऐसी इकाइयों से है, जो या तो पूर्ण रूप से उनके स्वामित्व की इकाई हैं अथवा साझेदारी या निगमित कम्पनी

में इस श्रेणी के साझेदारों/निदेशकों की न्यूनतम अंशपूंजी 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के हों।

6. वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरणः प्रदेश के जनपदों को भौगोलिक परिस्थितियों तथा इन जनपदों में हुए औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नांकित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण स्थान, पड़ोसी राज्य की सीमा तथा बाजार से दूरी, और क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास व पिछड़ेपन के आधार पर किया गया हैः

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग। जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
श्रेणी–सी	जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के लिए प्राथमिकता वाले विनिर्माणक उद्यमों को भी चिन्हित किया जा रहा है, ताकि प्राथमिकता श्रेणी के उद्यमों की राज्य में स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके।

7. वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित विनिर्माणक क्षेत्र की गतिविधियां/क्रियाकलापः

अ. विनिर्माणक क्षेत्र के अनुमन्य क्रियाकलाप/गतिविधियांः–

i. निषेध सूची में दिये गये उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम।

ii. गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन।

निषेध सूचीः

i. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।

ii. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

iii. उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या

84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, पॉलिथीन तथा प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग।

iv. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स।

v. आरा मिल।

vi. पटाखों का विनिर्माण।

vii. खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)।

viii. थर्मल पॉवर प्लाण्ट।

ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।

x. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

xi. भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

ब. प्राथमिकता श्रेणी के विनिर्माणक उद्यमः

1. औषधीय, हर्बल एवं सगन्ध पौध, नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग।
2. पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माण।
3. जैव–प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद।
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
5. नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जा।
6. एक जनपद दो उत्पाद योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पाद।
7. राज्य के जी आई टैग प्राप्त उत्पाद।
8. विनिर्माणक क्षेत्र के स्टार्टप्स।
9. उद्योग 4.0 अपनाने वाले विनिर्माणक उद्यम।

8. संस्थागत व्यवस्थाएँः

8.1 व्यापार करने में सुगमता, अनुकूल वातावरण का सृजन एवं संवेदनशील प्रशासन

8.1.1 सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों व संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में तकनीकी रूप से सक्षम तथा संवेदनशील प्रशासनिक मशीनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्मिकों की तकनीकी क्षमता का विकास एवं उद्योग अनुकूल वातावरण (कन्ड्यूसिव इण्डस्ट्रियल इनवायरमेंट) हेतु अपेक्षित संवेदनशीलता का प्रवाह किया जाएगा। राज्य सरकार जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों में तकनीकी सुविधा प्रदान कर आधुनिकीकृत करेगी, जिससे की परामर्श देने हेतु सक्षम हेल्पडेस्क, सिंगल विण्डो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उद्यमों की

परियोजना निर्माण आदि सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा सकें। इस हेतु यथासम्भव विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी। इसके लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों के संरचनात्मक ढांचे में सुधार किया जाएगा, उन्हें उच्च गति इंटरनेट/ब्रॉडबैण्ड से जोड़ा जाएगा एवं वीडियो कांन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ईआरपी/विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन/समस्या/सुझाव को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं उस पर की जा रही कार्यवाही का निरंतर ऑनलाइन पर्यवेक्षण किया जाएगा। विभाग की समस्त सेवायें यथासम्भव ऑनलाइन की जायेंगी।

8.1.2 उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक समर्पित 'निवेश संवर्धन एवं सुविधा केंद्र' (आईपीएफसी) पहले से ही कार्य कर रहा है, जो निवेशकों/व्यवसायियों के लिए एक केंद्रीकृत वन–स्टॉप–शॉप के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। इन निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्रों को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित सभी संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.1.3 महिला उद्यमियों तथा दिव्यांगों के लिए पृथक से हैल्पडेस्क सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

8.1.4 उद्यम प्रोत्साहन एवं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। जहां उद्यम प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना नितांत आवश्यक है, वहीं इन्वेस्टर फैसिलिटेशन हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को सक्षम बनाने के लिए समुचित मानव संसाधन भी आवश्यक है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार एक योजना/कार्यक्रम लाएगी, जहां जिला उद्योग केन्द्रों की मानव संसाधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान, शासकीय विभागों के सेवानिवृत्त अनुभवी विशेषज्ञ कार्मिकों अथवा व्यवसायिक एवं तकनीकी, प्रबन्धन संस्थानों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्रों की यंग प्रोफेशनल/इन्टर्न के रूप में अनुबन्ध के आधार पर अल्पकालिक सेवा में संविदा पर लिया जायेगा। इन्टर्नशिप के समय छात्र/यंग प्रोफेशनल्स स्वयं भी उद्यम प्रारम्भ एवं संचालित करने की प्रक्रिया से परिचित होंगे, परिणामस्वरूप, उनके लिए यह इन्टर्नशिप एक व्यावहारिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) की तरह होगा तथा इस प्रकार जिला उद्योग केंद्र भविष्य के उद्यमियों के लिए एक नर्सरी के रूप में उभरेगा।

8.2 वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी:–

8.2.1 संस्थागत वित्तीयन हेतु प्रोत्साहन सहायता: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजनान्तर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर बैंक द्वारा ली जाने वाली वार्षिक गारन्टी फीस (AGF) की 03 वर्ष तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

8.2.2 स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति: ए व बी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।

8.2.3 पूंजीगत उपादान: प्रदेश में स्थापित होने वाले नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान की जाएगी:–

इकाई प्रकार	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
क्षेत्र	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 01 करोड़ से अधिक, रू. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 05 करोड़ से अधिक, रू. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 10 करोड़ से अधिक, रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 लाख)	रू. 50 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)	रू. 1.50 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.50 करोड़)	रू. 2.50 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 करोड़)
श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)	रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)	रू. 02 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 करोड़)
श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)	रू. 30 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 80 लाख)	रू. 80 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)
श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 20 लाख)	रू. 20 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 60 लाख)	रू. 60 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 90 लाख)	रू. 90 लाख + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)

8.2.3.1 पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु स्थायी पूंजी निवेश के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा।

8.2.3.2 ऐसे विनिर्माणक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन

योजनाओं का लाभ दिया जायेगा, तदोपरान्त यदि वह एमएसएमई नीति–2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, को बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि टॉप–अप सहायता के रूप में दी जायेगी।

8.2.3.3 कुल स्वीकृत/अनुमन्य पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 07 वर्षों में 07 समान किश्तों में किया जायेगा।

8.2.3.4 पूंजीगत उपादान की गणना करते समय कार्यशाला भवन में स्थायी पूंजी निवेश को गणना में लिया जायेगा परन्तु 'भूमि' की लागत को गणना में नहीं लिया जायेगा।

8.2.4 अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायताः राज्य में स्थापित होने वाले निम्नलिखित श्रेणी के उद्यमों को 05 प्रतिशत (सूक्ष्म इकाई को अधिकतम रू. 05 लाख, लघु इकाई को अधिकतम रू. 10 लाख तथा मध्यम इकाई को अधिकतम रू. 15 लाख) की अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान की जाएगी–

1. औषधीय, हर्बल एवं सगन्ध पौध, नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग।
2. पिरूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माण।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
4. सम्बन्धित जनपद में ''एक जनपद दो उत्पाद'' योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम।
5. राज्य के जी आई टैग प्राप्त उत्पाद।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित विनिर्माणक उद्यम। (उद्यम की अधिकारिता में इस श्रेणी के उद्यमियों की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत अनिवार्य होगी)

8.3 उद्यमिता तथा कौशल विकासः

8.3.1 राज्य के सभी जिलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

8.3.2 विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन में आधुनिक तकनीक पर कारीगरों एवं युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में काम कर रहे ख्याति प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं तथा बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग लिया जाएगा।

8.4 गुणवत्ता तथा मानकः

8.4.1 तकनीक के क्षेत्र में निरंतर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चीकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उन्नयन एवं परीक्षण सम्बंधी आधारभूत अवस्थापना पर किया जाने वाला निवेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अतः उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं एवं मानकों को अपनाने एवं उनके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.4.2 उन्नत तकनीकी का लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ विभिन्न क्षेत्रों यथा– उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा–दक्षता, गुणात्मक–पैकेजिंग, परीक्षण–सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता–नियंत्रण आदि में मिल सके।

8.4.3 जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को पुरस्कारः जेड योजनान्तर्गत गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज तीन श्रेणियों में प्रमाणन की व्यवस्था है। गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह व उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

8.5 विपणन

8.5.1 प्रदेश में निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के अनुरूप विपणन सामर्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। उत्तराखण्ड हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम द्वारा विकसित ई–कॉमर्स पोर्टल को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे परम्परागत शिल्पकारों को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सके।

8.5.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को GeM पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.5.3 उत्तराखण्ड निर्यात संवर्धन परिषद को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता सम्मेलन को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

8.5.4 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करते हुए हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित कर सके।

8.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु संस्थागत सुविधायें

8.6.1 क्रियाशील सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विस्तार एवं विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नई इकाइयों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 'विस्तार/विविधीकरण' का तात्पर्य ऐसी मौजूदा इकाइयों से है, जो नए पूंजी निवेश यथा–विस्तारीकरण में वांछित नए यंत्र/संयंत्रो का क्रय, नयी उत्पादन श्रंखला की स्थापना एवं उत्पादन श्रंखला हेतु वांछित भूमि/भवन इत्यादि के माध्यम से अपने ग्रॉस ब्लॉक (gross block) में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ–साथ उत्पादान क्षमता में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि भी करेंगी।

8.6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना की तर्ज पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की क्लस्टर के रूप में स्थापना हेतु योजना अवधि में प्रदेश में 50 क्लस्टर विकसित किये जायेंगे। इन क्लस्टरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सतत विकास तथा उनसे सम्बन्धित सामान्य विषयों, जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल तथा गुणवत्ता विकास, बाजार एवं पूंजी तक पहुंच सुगम बनाने के लिए संस्थागत सुविधायें तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे क्लस्टर्स में सामान्य सुविधा केन्द्रों की भी स्थापना की जायेगी, ताकि क्लस्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योग इनका लाभ उठा सकें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिकतम रू. 05 करोड़ तक की सहायता भूमि एवं भूमि विकास, अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, मशीनरी एवं उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की उपलब्धता हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में देय होगी।

8.6.3 प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदा के समय सामग्री/सेवाओं के शासकीय उपापन में वरीयता दी जायेगी।

8.6.4 उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिये वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल एवं कॉल सेन्टर

की प्रणाली को और सशक्त किया जायेगा।

8.6.5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमता से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए नीति घोषित की जाएगी, इस नीति में निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जायेंगे।

9. वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाः

9.1 इस नीति से सम्बंधित सभी वित्तीय सहायताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की स्थिति भी आवेदक ऑनलाइन जाँच सकेगा। इस हेतु निदेशालय की वेबसाइट को यथा–आवश्यकता परिवर्तित किया जायेगा।

9.2 नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करना होगा। महाप्रबन्धक द्वारा तत्परतापूर्वक परीक्षण कर अपनी संस्तुति उद्योग निदेशालय को अग्रसारित की जाएगी।

9.3 आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें बैंक, पर्यावरण, वित्त, आयुष, विद्युत, श्रम आदि विभागों के प्रदेश स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा यथा–आवश्यकता अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

9.4 जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी को सदस्य नामित करते हुए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को सदस्य संयोजक बनाया जायेगा। यह समिति भी प्रत्यायोजित शक्ति (Delegated Power) के आधार पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी।

9.5 सचिव, एमएसएमई, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसका दायित्व प्रगति समीक्षा एवं अंतर–विभागीय समन्वय का होगा। आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों को इस समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर इनका निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे।

10. सामान्य प्रावधान/मार्गदर्शक सिद्धांतः

10.1 यह सामान्य प्रावधान/मार्गदर्शक सिद्धांत इस नीति के अन्तर्गत पात्र सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर लागू होंगे।

10.2 यह नीति जारी होने की तिथि से लागू होकर पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

10.3 इस नीति में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा। नीति में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में नीति अन्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां, उक्त लाभ प्राप्त करती रहेंगी। नीति के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को होगा।

10.4 सम्भावित उद्यमियों/निवेशकों को उद्यम स्थापित करने और उद्यम में किये गये पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

10.5 वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाली इकाई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या आरबीआई/सेबी द्वारा अनुमोदित ऐसे वित्तीय संस्थानों/बैंकों, जिनके द्वारा सावधि ऋण दिया गया है, की अनुमोदित बैंक एप्रेजल रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगी। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट प्रोत्साहनों की गणना

के लिए परियोजना लागत के मूल्यांकन के लिए आधार बनेगी।

10.6 इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजन के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था/विभाग द्वारा इम्पैनल्ड संस्था/प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत से होगा और यह परियोजना लागत प्रोत्साहनों के निर्धारण का आधार होगी।

10.7 इस नीति के तहत उल्लिखित सभी वित्तीय प्रोत्साहन पोस्ट–प्रोडक्शन अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि के पश्चात इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान किए जाएंगे।

10.8 इस नीति के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर पूंजी निवेश उपादान दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पूंजी निवेश उपादान दावा प्रस्तुत करने की तिथि तक भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किया गया पूंजी निवेश ही उपादान हेतु गणना में लिया जायेगा।

10.9 प्रदेश में विभिन्न नीतियां जैसे मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद नीति, पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, अरोमा पार्क नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रभावी है। उक्त नीतियों के अंतर्गत एक ही मद/घटक में वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ केवल एक ही श्रोत से अनुमन्य होगा, जिससे कि एक ही प्रकार के लाभ की द्विरावृत्ति न हो सके।

10.10 किसी इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन की स्थिति में, इकाई द्वारा विभाग से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक मिलता रहे। पात्रता अवधि तथा वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा/सीमा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ायी जायेगी।

10.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले उद्यमों को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद से 5 वर्षों के भीतर, इकाई के अंशधारिता/स्वामित्व के बदलाव की स्थिति में, नया अंशधारक/स्वामी उसी श्रेणी का होना चाहिए। यदि नया अंशधारक/स्वामी एक ही श्रेणी से नहीं हैं, तो ऐसी इकाइयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन की समस्त राशि, प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वसूल की जाएगी।

10.12 पहले से मौजूद किसी उद्यम के विभाजन अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

10.13 नीति की वैधता अवधि के दौरान विद्यमान किसी उद्यम को अपनी क्षमता के विस्तार, विविधीकरण, या आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत परियोजना लागत पर इस नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए, विद्यमान इकाई के संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में न्यूनतम 25 प्रतिशत या इससे अधिक का पूंजी निवेश तथा इकाई की उत्पादन क्षमता में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए।

10.14 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होगा।

10.15 निषेध/प्रतिबन्धित सूची के उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

10.16 इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पात्र उद्यम को अपने उद्यम में प्रदेश के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

11. एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) का विस्तार

11.1 ऐसी सभी परियोजनायें, जिनकी स्थापना हेतु एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नई नीति लागू होने की तिथि से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, किन्तु जिन्होंने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है, को एमएसएमई नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए नयी नीति लागू होने की तिथि से 12 माह के भीतर अपना उत्पादन प्रारम्भ करते हुए निर्धारित समयावधि में वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।

ऐसी नयी एवं पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाईयां, जो एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नए उद्यम की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए नयी नीति जारी होने की तिथि या इसके पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करती हैं, तो वह नयी एमएसएमई नीति–2023 के तहत शासित होंगी।

11.2 एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के तहत लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां इस नीति के प्राविधानों एवं शर्तों पर अपनी अर्हता समाप्त होने तक या पात्र अवधि पूर्ण होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रोत्साहन प्राप्त करना जारी रखेंगी।